ए.सी.बी. रिपोर्ट 31 अगस्त, 2022

2022 के अगस्त माह के अन्त तक ए.सी.बी राजस्थान द्वाारा पी.सी.एक्ट के तहत 344 प्रकरण भ्रष्ट लोक सेवकों व उनके सहयोगी दलालों इत्यादि के विरूद्ध पंजीबद्ध किये गये हैं, जिनमें 316 प्रकरण रंगे हाथों ट्रेप के, 16 प्रकरण आय से अधिक सम्पत्ति (डी.ए.) व 12 प्रकरण पद के दुरूपयोग के हैं।

वर्ष 2020 में इस अवधि तक 187 व वर्ष 2021 में 325 प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे। (संलग्न तालिकानुसार)

इस वर्ष में अब तक 478 प्रकरणों में ए.सी.बी. मुख्यालय द्वारा निस्तारण आदेश, विस्तृत विवेचना के उपरान्त पारित किये गये हैं, वर्ष 2020 में यह संख्या 130 थी व 2021 में 470 थी।

397 प्रकरणों में ए.सी.बी. द्वारा अनुसंधान का अन्तिम परिणाम विशिष्ठ न्यायालयों में प्रस्तुत किया गया जिनमें 314 चालान व 83 एफ.आर. शामिल हैं। वर्ष 2020 में 145 व 2021 में 293 प्रकरणों में इसी अवधि में अंतिम नतीजा प्रस्तुत किया गया था।

पुराने पैंडिंग प्रकरणों, प्राथमिक जांचों व परिवादों तथा खाना तलाशी प्रकरणों के निस्तारण में उल्लेखनीय प्रगति इस अवधि में हासिल की गयी है।

COMPERATIVE REGISTRATION & DISPOSAL UP TO AUG.

YEAR	REGISTRATION				HQ. DISPOSAL ORDERS				DISPOSAL(SUBMIT IN COURT)		
	TRAP	D.A.	M.O.	TOTAL	TRAP	D.A.	M.O.	TOTAL	FR	CHALLAN	TOTAL
2020	163	4	20	187	109	2	19	130	24	121	145
2021	290	15	20	325	407	14	49	470	46	247	293
2022	316	16	12	344	327	32	120	478	83	316	399

माह अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण प्रकरण

1. प्रकरण संख्या 331/2022 में पुलिस निरीक्षक, पुलिस थाना गोविन्दगढ जिला जयपुर ग्रामीण एंव अन्य को 6,00,000/–रू की रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया गया।
2. प्रकरण 308/2022 में पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना बानसूर जिला अलवर एवं अन्य को 1,40,000/–रू की रिश्वत लेते हुये रगें हाथों गिरफ्तार किया गया।
3. प्रकरण संख्या 322/2022 में कनिष्ट अभियतंता कार्यालय सहायक अभियंता जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड मण्डावर जिला दौसा एवं अन्य को 60,000/–रू की रिश्वत लेते हुये रगें हाथों गिरफ्तार किया गया।
4. प्रकरण संख्या 303/2022 में कनिष्ठ अभियंता, भू– संरक्षण विभाग, गंगरार, जिला चितौड़गढ को 50,000/–रू की रिश्वत लेते हुये रगें हाथों गिरफ्तार किया गया।
5. प्रकरण संख्या 311/2022 में मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम जयपुर ग्रेटर एवं अन्य को 50,000/–रू की रिश्वत लेते हुये रगें हाथों गिरफ्तार किया गया।
6. प्रकरण संख्या 315/2022 में अधीक्षक जेके लोन अस्पताल कोटा को 50,000/–रू की रिश्वत लेते हुये रगें हाथों गिरफ्तार किया गया।
7. प्रकरण संख्या 330/2022 में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बाडमेंर एंव अन्य को 50,000/–रू की रिश्वत लेते हुये रगें हाथों गिरफ्तार किया गया।
8. प्रकरण संख्या 332/2022 जिला परिवहन अधिकारी भरतपुर व अन्य को 37200/– रू की रिश्वत लेने पर गिरफ्तार किया गया।
9. तत्कालीन सहायक आयुक्त वाणिज्यकर संभाग–तृतीय झालाना संस्थानिक क्षैत्र जयपुर के विरूद्ध वैध आय से 189.99 प्रतिशत अधिक सम्पति अर्जित करने पर व सदस्य राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर के विरूद्ध वैध आय से 119.07 प्रतिशत अधिक सम्पति अर्जित करने पर एवं चीफ इंजीनियर कोटा थर्मल पांवर स्टेशन कोटा के विरूद्ध वैध आय से 91.88 प्रतिशत अधिक सम्पति अर्जित करने पर आय से अधिक सम्पत्ति के प्रकरण दर्ज किये गये।